समक्ष: **एस. एस. सरों और दर्शन सिंह न्यायमूर्ति**

राज कुमार @मोगली और एक अन्य-अपीलार्थी

बनाम

2010 का हरियाणा राज्य प्रतिवादी सीआरडी-डी No.111-DB 09 मार्च, 2017

भारतीय दंड संहिता, 1860-एस. 302, 34 और 506-अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों पर हमला किया गया और पुराने झगड़े के कारण चाकू से घायल हो गए-डॉक्टर ने मृतक को मृत घोषित कर दिया अस्पताल लाया गया-विशेषज्ञ द्वारा चाकू की जांच में 6 महीने की अत्यधिक देरी-डॉक्टर की राय को देखते हुए आरोपी को कोई लाभ नहीं-चाकू बरामद होने से चोटें संभव हैं।(1) उपयोग किए गए अपराध के हथियार, (2) शरीर के अंग को चोट पहुँचाने के उद्देश्य से, (3) प्रहार करने पर बल प्रयोग, (4) अन्य परिस्थितियों से एकत्र किया गया इरादा।

मान लिया कि, एफएसएल एक्स.पीएए की रिपोर्ट के अनुसार, अभियुक्त-अपीलकर्ताओं से बरामद चाकू पर खून का पता नहीं चला था।चाकू आरोपी-राज कुमार @मोगली के कब्जे से 22.02.2007 पर और आरोपी-अपीलकर्ता शेरू के कब्जे से 26.02.2007 पर बरामद किया गया था।उक्त हथियारों को एफएसएल मधुबन को 01.03.2007 पर भेजा गया था, लेकिन बरामद होने की तारीख से लगभग सात महीने बाद विशेषज्ञ द्वारा 10.09.2007 पर उनकी जांच की गई।हथियारों की जांच में इस अत्यधिक देरी के साथ इन चाकू पर रक्त का पता नहीं चलने का एक कारण हो सकता है।पीडब्लू-14-डॉ. सुषमा जैन, चिकित्सा अधिकारी, सामान्य अस्पताल, रोहतक के बयान से यह पता चलता है कि 27.02.2007 पर, पुलिस ने उसके सामने आवेदन Ex. पी.वाई. भेजा ताकि उसकी राय ली जा सके कि क्या चोटें नं। 4, 5, 6 और 7 उसके सामने पेश किए गए 'चाकू' के कारण हो सकते हैं, जो आरोपी से बरामद किए गए थे।वे चाकू सीलबंद पार्सल में थे।उसने पार्सल खोले और फिर अपनी राय Ex. पी.वाई.

/1 दी कि चोटों की संभावना नहीं है। उन हथियारों के साथ 4,5,6 और 7 से इंकार नहीं किया जा सकता था।इसलिए, पीडब्लू-14 ने एक स्पष्ट राय दी है कि मृतक-नवीन के व्यक्ति पर चोटें आरोपी-अपीलार्थियों से बरामद चाकू से संभव थीं।

(पैरा 26) ने आगे कहा कि, यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्त के इरादे को उनके द्वारा उपयोग किए गए अपराध के हथियार से एकत्र किया जा सकता है, शरीर का वह हिस्सा जिसका उद्देश्य चोट पहुंचाना है, बल ने का प्रयोग किया।

प्रहार और कई अन्य परिस्थितियाँ देने के लिए।तत्काल मामले में, अभियुक्त-अपीलकर्ता पर्याप्त आकार के चाकू से लैस थे।मृतक की छाती के दाहिने हिस्से में दो चोटें आई हैं।मृतक की तुरंत मौत हो गई क्योंकि उसे अस्पताल में मृत लाया गया था।पोस्टमॉर्टम कराने वाली पीडब्लू-14 डॉ. सुषमा जैन ने मृतक को लगी चोटों को सामान्य प्रकृति में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त बताया।इस प्रकार, अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा किया गया अपराध स्पष्ट रूप से भा.दं.सं. सी. की खंड 307 को आकर्षित करता है।

(पैरा 31)

दीपक मल्होत्रा, अधिवक्त आर.पी.धीर के लिए, अधिवक्ता

अपीलकर्ता के लिए सं।1-राज कुमार @मोगली।

राजेश गुप्ता, अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए नं.2-शेरू एस.एस.पन्नू, डीएजी, हरियाणा।

दर्शन सिंह, न्यायमूर्ति

(1) वर्तमान अपील को दिनांक 1 के दोषसिद्धि के फैसले के खिलाफ प्राथमिकता दी गई है, जिसमें दोनों अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता, 1860 ('आई. पी. सी.'-संक्षेप में) की खंड 34 और खंड 506 के साथ पठित खंड 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और 2 की सजा की मात्रा पर आदेश, जिसमें उन्हें निम्नानुसार सजा सुनाई गई हैः

दोषियों के नाम	यू/एस	आर. आई	ठीक है।	डिफ़ॉल्ट रूप से
राज कुमार @मोगली		302/34 भा. दं. सं. सी. आजीवन कारावास	1500/- रु.	दो महीने का कठोर कारावास
	506 भा. दं. सं.	एक वर्ष	Rs. 500 -	पंद्रह दिनों का कठोर कारावास।
शेरू		302/34 भा. दं. सं. सी. आजीवन कारावास	1500/- रु.	दो महीने का कठोर कारावास
	506 भा. दं. सं.	एक वर्ष	Rs. 500 -	कठोर कारावास

				पंद्रह दिन।

(2) इस अभियोजन को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पीडब्लू-1-बिजेंद्र ने पीडब्लू-16-एसआई सुभाष चंदर को यह कहते हुए बयान दिया कि वह झुंझुन, राजस्थान से कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए पढ़ रहा था।लगभग छह महीने पहले उसके भतीजे सुशील का अभियुक्त-अपीलकर्ता राज कुमार उर्फ मोगली और गाँव निगम के निवासी शेरू के साथ झगड़ा हुआ था।लेकिन, उस विवाद को भाईचारे द्वारा सुलझा लिया गया और उसके बाद, कोई विवाद नहीं रहा।हालाँकि, अभियुक्त-अपीलकर्ता तब से ही नाराज़गी जता रहे थे।<ID1 पर, शिकायतकर्ता अपने भतीजे-नवीन और पोते (बेटी के बेटे) हेमंत-पीडब्लू-2 के साथ जगदीश से कुछ सामान खरीदने के लिए आ रहा था।जब वे बिरजू बाल्मीकि के घर के पास पहुंचे तो आरोपी-अपीलकर्ता राज कुमार उर्फ मोगली और शेरू ने उन्हें रोक लिया।यह लगभग 11.00 पूर्वाहन समय था। दोनों अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के पास 'चाकू' (चाकू) थे।उन्होंने शिकायतकर्ता के भतीजे नवीन पर कथित 'चाकू' से हमला किया।राज कुमार @मोगली ने चाकू से नवीन की छाती और दाहिने हिस्से पर वार किया।शेरू ने नवीन की दाहिनी जांघ पर चाकू से वार किया।उन्होंने अपने दाहिने घुटने पर दो स्थानों पर दूसरा प्रहार किया।इसके बाद नवीन नीचे गिर गया।उन्होंने हस्तक्षेप किया।वे अपने 'चाकू' लहरा रहे थे और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे थे।इस बीच, शिकायतकर्ता का एक और भतीजा सुशील मौके पर आया।अन्य लोग भी मौके पर जमा हो गए।फिर, आरोपी-अपीलकर्ता अपने हथियारों के साथ घटना स्थल से भाग गए।नवीन को वाहन की व्यवस्था करके सीएचसी, कलानौर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।शिकायतकर्ता-बिजेंद्र Ex. पी.ए. के बयान के आधार पर, औपचारिक प्राथमिकी Ex. पीए सी दर्ज की गई और जांच शुरू की गई।

(3) इसके बाद, पीडब्लू-16-निरीक्षक सुभाष चंदर ने शव का निरीक्षण किया और जाँच की कार्यवाही तैयार की। उन्होंने गवाहों के बयान भी दर्ज किए।नवीन के शव को आवेदन के साथ पोस्टमॉर्टम के लिए कांस्टेबल राम सरूप को सौंप दिया गया। इसके बाद, जांच अधिकारी शिकायतकर्ता-बिजेंद्र के साथ गांव निगम में मौके पर गए।उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण

किया और सही सीमांत नोटों के साथ घटना स्थल Ex.PAE की रफ साइट योजना तैयार की।मृतक-नवीन के शव के पोस्टमॉर्टम के बाद, कांस्टेबल राम सरूप ने मृतक का सामान सीलबंद पार्सल में जांच अधिकारी को सौंप दिया, जिसे मेमो Ex.PC के माध्यम से कब्जे में ले लिया गया। पुलिस स्टेशन लौटने पर, मामले के लेख 840

(4) 21.02.2007 पर, रेलवे स्टेशन पर एक चाय की दुकान पर बैठे आरोपी-अपीलकर्ता राज कुमार उर्फ मोगली को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी पहचान पीडब्लू-3-सुशील द्वारा की गई थी।अभियुक्त-अपीलकर्ता-राज कुमार उर्फ मोगली की सिविल अस्पताल, कलानौर से आवेदन Ex.PAF को स्थानांतरित करके कानूनी रूप से चिकित्सा जांच कराई गई। 22.02.2007 पर, पूछताछ पर उसे प्रकटीकरण बयान Ex.PB का सामना करना पड़ा और उसके अनुसरण में उसने निगम निवासी महाबीर के खेतों के पास झाड़ियों से चाकू बरामद किया।उक्त चाकू का रेखाचित्र Ex.PE तैयार किया गया था।इसे एक सीलबंद पार्सल में रखा गया था और मेमो Ex.PG के माध्यम से इसे अपने कब्जे में ले लिया गया था।

(5) 26.02.2007 पर, अभियुक्त-अपीलकर्ता शेरू को चब्बा ईंट भट्टे के पास से गुप्त जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।उनसे पूछताछ भी की गई और उन्हें खुलासा बयान Ex.PL का सामना करना पड़ा। इसके अनुसरण में उन्होंने निगम रोड पर बी. एल. ईंट भट्टे के सामने झाड़ियों से चाकू बरामद किया।उक्त चाकू का रेखाचित्र Ex.PN तैयार किया गया था।इसे एक सीलबंद पार्सल में रखा गया था और मेमो Ex.PM के माध्यम से कब्जे में ले लिया गया था। इसके बाद, जांच की औपचारिकताओं के पूरा होने पर, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('Cr.P.C.'-संक्षेप में) की खंड 173 के तहत रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की गई थी।

(6) यह मामला रोहतक के प्रथम श्रेणी के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 03.05.2007 के आदेश के अनुसार सत्र न्यायालय को सौंपा गया था।

(7) दोनों अभियुक्त-अपीलार्थियों पर रोहतक के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक्ट कोर्ट) द्वारा खंड 34 के साथ पठित खंड 242 और भा.दं.सं. सी. की खंड 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था, जिस पर दोनों अभियुक्त-अपीलार्थियों ने दोषी नहीं होने का आदेश किया और मुकदमे का दावा किया।

(8) अपने मामले को साबित आदेश के लिए, अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लाने के अलावा सोलह गवाहों से पूछताछ की।

(9) जब खंड 313 Cr.P.C के तहत जांच की गई, तो दोनों अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने दलील दी कि वे निर्दोष हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है।

(10) बचाव पक्ष के साक्ष्य में, उन्होंने डी. डब्ल्यू.-1 सरोज कुमार, हिंदी शिक्षक, सरकार से पूछताछ की। सीनियर सेकेंडरी स्कूल, निगम।

उनके पास मार्च 2006 तक 10वीं कक्षा की उपस्थिति रजिस्टर को रिकॉर्ड में लाया और अपदस्थ किया कि दिलीप सिंह का बेटा हेमंत कुमार वर्ष 2005-06 में उनके 10वीं कक्षा के स्कूल का छात्र था और वर्ष 2006-07 के बाद वह उनके स्कूल का छात्र नहीं रहा।उन्होंने सरकार के प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र को साबित कर दिया है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल निगम Ex.D-1।दिनेश गौतम, लॉ लेक्चरर, सेठ मोती लाल लॉ कॉलेज, झुंझुन डी. डब्ल्यू.-2 के रूप में उपस्थित हुए।उन्होंने शिकायतकर्ता-बिजेंद्र के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रवेश पत्र, परिचर रजिस्टर, अनुचित साधनों की सूचना, सत्र के लिए छात्रों की सूची 2005-06 और TR लाई है।उन्होंने पदच्युत किया कि उन्होंने 30.07.2005 पर प्रवेश लिया और मई, 2006 के महीने में परीक्षा तक एल. एल. बी. प्रथम वर्ष के छात्र बने रहे।उन्हें अनुचित साधनों के मामले में गिरफ्तार किया गया था और विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था।मई, 2006 के बाद वे विश्वविद्यालय के छात्र नहीं रहे।उन्होंने छात्रों की सूची Ex.D-2, परिणाम की प्रति Ex.D-3 और D-4, नोटिस की प्रति Ex.D-5 और रजिस्टर की प्रति Ex.D-6 साबित की।डी. डब्ल्यू.-3 अशोक ने पदच्युत किया कि चब्बा ईंट भट्ठा निगम रोड से पश्चिम की ओर सात एकड़ की दूरी पर है।उन्होंने आगे कहा कि उन्हें नहीं पता कि बी. एल. ईंट भट्ठा कहाँ स्थित है।डी. डब्ल्यू.-4-फूल सिंह ने भी अपीलार्थियों से बरामद हथियारों की बरामदगी के स्थानों के संबंध में अभियोजन पक्ष के बयान के विपरीत बयान दिया है।इसके बाद बचाव पक्ष के साक्ष्य को बंद कर दिया गया।

(11) अभिलेख पर साक्ष्य और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों की सराहना पर, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक्ट कोर्ट), रोहतक ने दोषी ठहराया और अपीलार्थियों को आदेश 34 और भा.दं.सं. सी. की आदेश 506 के साथ पठित दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया।

(12) दोषसिद्धि और सजा के आदेश के उपरोक्त निर्णय से व्यथित, वर्तमान अपील दोनों अपीलार्थियों द्वारा की गई है।

(13) हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और मामले के रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की है।

(14) दलीलें शुरू करते हुए, अपीलार्थियों पूर्वाहन विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष पूर्वाहन संस्करण पूर्वाहन अनुसार, घटना 20.02.2007 पर सुबह 11.00 पर हुई है।लेकिन, प्राथमिकी आर. Ex.PAC दोपहर 02.30 पर दर्ज की गई है। उन्होंने तर्क दिया कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी की व्याख्या नहीं की गई है, जिससे पता चलता है कि मामला तक पहुंच गया है। विचार-विमर्श और परामर्श के परिणामस्वरूप पंजीकृत।(15) उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह घटना कथित तौर पर गाँव के व्यस्त इलाके में हुई थी।लेकिन, घटना के बिंदु पर अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई है।अभियोजन पक्ष का पूरा मामला रिश्तेदारों के बयानों पर आधारित है।किसी भी स्वतंत्र पुष्टि की अनुपस्थिति में में उनके बयानों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

(16) उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी-अपीलार्थियों से बरामद चाकू खून से सना हुआ था।उक्त चाकू को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ('एफ. एस. एल'-संक्षेप में) भेजा गया था।लेकिन एफएसएल Ex.PAA की रिपोर्ट में उक्त चाकू पर कोई खून नहीं पाया गया।इसलिए, अपीलार्थियों से कथित रूप से बरामद चाकू अपराध के हथियार नहीं थे।

(17) उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि आरोपी-अपीलकर्ताओं का नवीन की मौत का कारण बनने का कोई इरादा था।इसलिए, भा.दं.सं. सी. की खंड 307 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया है।

(18) दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि प्राथमिकी दर्ज करने में कोई अत्यधिक देरी नहीं हुई है। शिकायतकर्ता के एक करीबी रिश्तेदार की मौत हो गई है।यह उम्मीद नहीं है कि वह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तुरंत पुलिस स्टेशन जाएगा।उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ठोस और निर्दोष है।इसलिए, प्राथमिकी आर. दर्ज करने में 3 से 4 घंटे की छोटी सी देरी का कोई कानूनी परिणाम नहीं है।

(19) उन्होंने आगे तर्क दिया कि कानून का कोई नियम नहीं है कि रिश्तेदार गवाहों के बयानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।अपीलार्थियों के विद्वान वकील अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में किसी भी भौतिक विसंगति को इंगित करने में समर्थ नहीं हुए हैं।उनके बयान घटना के बिंदु पर सुसंगत हैं और बहुत प्रमाणिक मूल्य रखते हैं।उन्होंने आगे तर्क दिया कि डॉक्टर ने विशिष्ट राय दी है कि मृतक के व्यक्ति पर चोट आरोपी से बरामद चाकू से हो सकती है।केवल यह तथ्य कि उक्त चाकू पर खून का पता नहीं चला था, इसका कोई प्रभाव नहीं है, विशेष रूप से जब बरामद होने के लगभग सात महीने बाद उक्त हथियारों की जांच की गई थी।उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर सात घाव किए हैं।ये चोटें नवीन की मौत का कारण बनने के अपीलार्थियों के इरादे को दर्शाती हैं।चोटों को प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त घोषित किया गया है। उन्हें भा.दं.सं. सी. की खंड 34 के साथ पठित खंड 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उचित रूप से दोषी ठहराया गया है।

(20) हमने उपरोक्त दलीलों पर विधिवत विचार किया है।

(21) यह घटना 20.02.2007 पर सुबह 11.00 पूर्वाहन हुई है।शिकायतकर्ता-बिजेंद्र का बयान पीडब्लू-16 एस. आई. सुभाष चंदर द्वारा <आई. डी. 1 पर दोपहर 02.15 पर दर्ज किया गया था और उसी दिन दोपहर 02.30 पर प्राथमिकी आर. Ex.PAC दर्ज की गई थी। इसलिए, पुलिस को मामले की सूचना देने में केवल साढ़े तीन घंटे से भी कम समय की देरी हुई।इस तरह की छोटी सी देरी से अभियोजन पक्ष के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता है।इसके अलावा, यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि केवल प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को अपने आप में अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं माना जा सकता है।ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य 1 के मामले का संदर्भ दिया जा सकता है।दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य 2014 (4) आर. सी. आर. मामले में इस न्यायालय की एक खंड पीठ (आपराधिक) 151 ने यह भी निर्धारित किया है कि जब अपराध करने में अभियुक्त की संलिप्तता का निर्विवाद और सकारात्मक सबूत होता है, तो प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को महत्वहीन बना दिया जाता है।माननीय सर्वोच्च तमिलनाडु 2 के पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मामले शनमुगम और एक अन्य बनाम राज्य में अदालत ने निर्धारित किया है कि मामले में देरी

प्राथमिकी आर. दर्ज करना अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है और न ही देरी करने से सूचना देने वाले द्वारा दिए गए कथन की सच्चाई के बारे में कोई संदेह पैदा हो सकता है, जैसे कि प्राथमिकी आर. का शीघ्र दर्ज होना पूरी तरह से सच होने की गारंटी नहीं हो सकती है।जहूर और अन्य बनाम यू. पी. 3 राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि देरी का कोई परिणाम नहीं है जहां अपराध संदेह से परे साबित हुआ था।यह आगे निर्धारित किया गया कि प्राथमिकी आर. दर्ज करने में देरी अपने आप में अभियोजन मामले को अस्वीकार करने के लिए

पर्याप्त नहीं है जब तक कि मनगढ़ंत के स्पष्ट संकेत न हों।मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, रवि कुमार बनाम पंजाब राज्य 4 ने माना है कि जब गुप्त साक्ष्य ठोस, विश्वसनीय और विश्वसनीय है, तो मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी दर्ज करने के साथ-साथ विशेष रिपोर्ट दर्ज करने में देरी, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि जांच दूषित है और अभियोजन पक्ष ने एक रंगीन संस्करण दिया था।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम महाराज सिंह और अन्य मामलों में कानून के इसी सिद्धांत को दोहराया है।

1 2014 (3) आर. सी. आर (आपराधिक) 25 (एससी) 2 2014 (7) आर. सी. आर. (आपराधिक) 1518 3 1991 (1) आर. सी. आर. (आपराधिक) 484 4 2005 (2) आर. सी. आर. (आपराधिक) 72 844 एन. आर. 5.इस प्रकार, उपरोक्त कानूनी स्थिति को देखते हुए, प्राथमिकी दर्ज करने में देरी स्वयं अभियोजन पक्ष के बयान को खारिज करने का कोई आधार नहीं है यदि जो घटना हुई थी वह अन्यथा साबित होती है।वास्तव में एक त्वरित प्राथमिकी आर. दर्ज करना भी अभियोजन पक्ष के बयान की सच्चाई की एक अचूक गारंटी नहीं है।

(22) घटना के तरीके पर, अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता-बिजेंद्र से पीडब्लू-1 के रूप में पूछताछ की है।उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि आरोपी-राज कुमार @मोगली ने नवीन के व्यक्ति पर दो वार किए।उनमें से एक छाती पर गिरा और दूसरा नवीन के दाहिने हिस्से पर गिरा।अभियुक्त-शेरू ने भी दाहिनी जांघ पर एक प्रहार किया और अन्य दो तीन प्रहार दाहिने घुटने के पास किए गए।जिसके परिणामस्वरूप नवीन नीचे गिर गया।उन्होंने और हेमंत ने नवीन को बचाने की कोशिश की, लेकिन उपरोक्त राज कुमार उर्फ मोगली और शेरू ने उन्हें धमकी दी कि अगर वे नवीन को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।नवीन के व्यक्ति को चोट पहुँचाने के बाद वे अपने घर की ओर भाग गए।इस बीच उनके भतीजे सुशील भी मौके पर पहुंचे।नवीन को हेमंत, गुगन और सुरेंद्र द्वारा सीएचसी, कलानौर में स्थानांतरित कर दिया गया था।ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने नवीन की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया।घटना के चश्मदीद गवाह पीडब्लू-2-हेमंत द्वारा बिजेंद्र की गवाही की पूरी तरह से पुष्टि की गई है।उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 20.02.2007 पर 11.00 सुबह, वह अपने मामा नवीन और नाना-बिजेंद्र के साथ कुछ घरेलू सामान खरीदने के लिए जगदीश की खरीदारी करने जा रहे थे।जब वे बिरजू बाल्मीकि के घर के पास पहुंचे तो अदालत में मौजूद आरोपी राज कुमार उर्फ मोगली और शेरू ने उन्हें रोक दिया।राज कुमार @मोगली और शेरू ने नवीन पर खुलेआम अपने चाकू से हमला किया।राज कुमार @मोगली ने नवीन के व्यक्ति पर दो चाकू मारे, यानी एक छाती के दाहिने हिस्से में और दूसरा दाहिने हिस्से में।शेरू ने अपनी चाकू से दाहिनी जांघ पर भी वार किए और मृतक-नवीन के दाहिने घुटने के पास तीन वार किए गए।आरोपी के हाथों चोट लगने पर नवीन जमीन पर गिर गया।उसने और बिजेंद्र ने हस्तक्षेप करने और नवीन को अभियुक्तों से बचाने की कोशिश की, लेकिन चाकू लहराते हुए अभियुक्तों ने उन्हें आगे बढ़ने पर जान से मारने की धमकी दी और उसके बाद वे अपने-अपने हथियारों के साथ मौके से अपने घरों की ओर भाग गए।उनके मामा सुशील भी घटना स्थल पर मौजूद थे।अन्य ग्रामीण भी वहाँ पहुँच गए।उन्होंने इस घटना के उद्देश्य यानी सुशील और अपीलार्थियों के बीच पिछले विवाद के बारे में भी बयान दिया है।मृतक के भाई पीडब्लू-3-सुशील कुमार ने पीडब्लू-1 की गवाही की पुष्टि की है। बिजेंद्र और पीडब्लू-2-हेमंत।इन सभी गवाहों से बचाव पक्ष के विद्वान वकील द्वारा विस्तार से जिरह की गई है।लेकिन, उनकी गवाही को तोड़ने के लिए कुछ भी सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई जा सकी।इन सभी गवाहों ने घटना का ठोस, सुसंगत और स्वाभाविक संस्करण दिया है।

(23) इस समय तक यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि पीड़ित के साथ गवाहों का केवल संबंध उनकी गवाही को त्यागने का कोई आधार नहीं है।यह संबंध गवाह की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है।बुर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य 6 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया है:-

"6. केवल इसलिए कि चश्मदीद गवाह परिवार के सदस्य हैं, उनके साक्ष्य को स्वयं खारिज नहीं किया जा सकता है।जब रुचि का आरोप लगता है, तो उसे स्थापित करना पड़ता है।केवल यह कथन कि मृतक के रिश्तेदार होने के नाते वे अभियुक्त को गलत तरीके से फंसाने की संभावना रखते हैं, सबूत को त्यागने का आधार नहीं हो सकता है जो अन्यथा ठोस और विश्वसनीय है।हम अभियोजन पक्ष के बयान को आगे बढ़ाने के लिए गवाहों की रुचि के बारे में विवाद पर भी विचार करेंगे।संबंध गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है।ऐसा अक्सर होता है कि कोई संबंध वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाएगा और किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ आरोप नहीं लगाएगा।यदि गलत निहितार्थ का अनुरोध किया जाता है तो नींव रखनी होगी।ऐसे मामलों में, अदालत को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और यह पता लगाने के लिए साक्ष्य का विश्लेषण करना होगा कि क्या यह ठोस और विश्वसनीय है। **दलीप सिंह और अन्य वी.पंजाब राज्य (AIR) 1953 एस. सी. 364) यह निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-**

"एक गवाह को आम तौर पर स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि वह उन स्रोतों से नहीं आता है जिनके दूषित होने की संभावना है और इसका आम तौर पर मतलब है जब तक कि गवाह के पास आरोपी के खिलाफ शत्रुता जैसे कारण नहीं हैं, कि वह उसे गलत तरीके से फंसाना चाहता है।आम तौर पर एक करीबी संबंध वास्तविक अपराधी की जांच करने और एक निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाने के लिए अंतिम होगा।यह सच है, जब भावनाएँ बढ़ जाती हैं और शत्रुता के लिए व्यक्तिगत कारण होता है, तो एक निर्दोष व्यक्ति को घसीटने की प्रवृत्ति होती है, जिसके खिलाफ एक गवाह को दोषी के साथ-साथ दुर्भावना होती है, लेकिन इस तरह की आलोचना और संबंध के केवल तथ्य की नींव रखी जानी चाहिए जो 6 2008 (4) आर. सी. आर. से बहुत दूर है। (आपराधिक) नींव अक्सर सच्चाई की एक निश्चित गारंटी होती है।हालाँकि, हम किसी भी व्यापक सामान्यीकरण का प्रयास नहीं कर रहे हैं।प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।हमारी टिप्पणियाँ केवल उन बातों का मुकाबला करने के लिए की जाती हैं जिन्हें अक्सर विवेक के सामान्य नियम के रूप में हमारे सामने रखा जाता है।ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है।प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों तक सीमित और नियंत्रित होना चाहिए। उपरोक्त निर्णय का तब से गुली में पालन किया जा रहा है।

चंद और अन्य वी.राजस्थान राज्य (1974 (3) एस. सी. सी. 698) जिसमें वादिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य (ए. आई. आर.)

1957 एससी 614) पर भी भरोसा किया गया था।ग. हम यह भी देख सकते हैं कि गवाह के करीबी रिश्तेदार होने और इसके परिणामस्वरूप पक्षपाती गवाह होने के आधार पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।इस सिद्धांत को इस अदालत ने दलीप सिंह के मामले (ऊपर) में ही खारिज कर दिया था, जिसमें बार के सदस्यों के मन में इस धारणा पर आश्चर्य व्यक्त किया गया था कि रिश्तेदार स्वतंत्र गवाह नहीं थे।विवियन बोस, जे. द्वारा से बोलते हुए यह देखा गया:

"हम उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों से सहमत होने में असमर्थ हैं कि दो चश्मदीद गवाहों की गवाही के लिए पुष्टि की आवश्यकता है।यदि इस तरह के अवलोकन की नींव इस तथ्य पर आधारित है कि गवाह महिलाएं हैं और सात पुरुषों

का भाग्य उनकी गवाही पर टिका हुआ है, तो हम ऐसे किसी नियम के बारे में नहीं जानते हैं।यदि यह इस कारण पर आधारित है कि वे मृतक से निकट संबंध रखते हैं तो हम सहमत होने में असमर्थ हैं।यह कई आपराधिक मामलों में एक सामान्य भ्रांति है और जिसे इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने दूर करने का प्रयास किया-रामेश्वर बनाम राज्य

राजस्थान '(ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 54 पृ. 59 पर)।लेकिन हम पाते हैं,

कि यह दुर्भाग्य से अभी भी, यदि न्यायालयों के निर्णयों में नहीं है, तो किसी भी तरह से वकील के तर्कों में बना हुआ है।

डी। फिर से मसाला और अन्य में।यू. पी. राज्य (एआईआर 1965)

एस. सी. 202) इस न्यायालय ने कहाः(पी।209-210 पैरा 14):

"लेकिन हमारा मानना है कि यह तर्क देना अनुचित होगा कि गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज किया जाना चाहिए कि यह राज कुमार @मोगली और अन्य बनाम हरियाणा राज्य पर ऐसे साक्ष्य की पक्षपातपूर्ण या इच्छुक यांत्रिक अस्वीकृति का प्रमाण है। एकमात्र आधार कि यह पक्षपातपूर्ण है, हमेशा न्यायाधीश की विफलता की ओर ले जाएगा।कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कितने सबूतों की सराहना की जानी चाहिए।इस तरह के साक्ष्य से निपटने में न्यायिक दृष्टिकोण को सतर्क रहना होगा; लेकिन यह दलील कि इस तरह के साक्ष्य को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह पक्षपातपूर्ण है, सही के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

ङ. पंजाब राज्य में भी इसी तरह के निर्णय लिए जाते हैं।

जागीर सिंह (ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2407), लेहना बनाम हरियाणा राज्य (2002 (3) एस. सी. सी. 76) और गंगाधर बेहरा एफ. और अन्य एस. बनाम।उड़ीसा राज्य (2002 (8) एस. सी. सी. 381)

छ. उपरोक्त स्थिति को बाबूलाल में भी रेखांकित किया गया था।

भगवान खंडारे और अन्र. वी.महाराष्ट्र राज्य [2005 (10) एस. सी. सी. 404] और सलीम साहब बनाम एम. पी. राज्य (2007 (1) एस. सी. सी. 699)

(24) मामलों में वही कानूनी स्थिति दोहराई गई है।

मरानाडू और दूसरा द्वारा राज्य, पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु 7, जोगिंदर सिंह द्वारा पंजाब राज्य 8 और छत्तीसगढ़ राज्य थ्रू पुलिस स्टेशन द्वारा हरिराम रे और अन्य 9।

(25) कानून के उपरोक्त सुसंगत अनुपात को देखते हुए, केवल यह तथ्य कि पीडब्लू-1-बिजेंद्र, पीडब्लू-2-सुशील और पीडब्लू-3 हेमंत मृतक-नवीन के रिश्तेदार हैं, उनकी अन्यथा ठोस, निर्विवाद, सुसंगत और स्वाभाविक गवाही को त्यागने या अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है।

(26) एफ. एस. एल. Ex.PAA की रिपोर्ट के अनुसार, अभियुक्त-अपीलार्थियों से बरामद चाकू पर खून का पता नहीं चला था।चाकू आरोपी-राज कुमार @मोगली के कब्जे से 22.02.2007 पर और आरोपी-अपीलकर्ता शेरू के कब्जे से

26.02.2007 पर और आरोपी-अपीलकर्ता शेरू के कब्जे से 26.02.2007 पर बरामद किया गया था।उक्त हथियारों को एफएसएल मधुबन को 01.03.2007 पर भेजा गया था, लेकिन बरामद होने की तारीख से लगभग सात महीने बाद विशेषज्ञ द्वारा 10.09.2007 पर उनकी जांच की गई।हथियारों की जांच में इस अत्यधिक देरी के साथ इन चाकू पर रक्त का पता नहीं चलने का एक कारण हो सकता है।पीडब्लू-14-डॉ. के बयान से। सुषमा जैन, चिकित्सा अधिकारी, जनरल 7 2009 (2) आर. सी. आर (सी. आर. एल.) 256

8 2009 (2) आर. सी. आर (क्रोरल) 589 9 2014 (7) आर. सी. आर. (क्रोल.) 2416 848

अस्पताल, रोहतक, यह पता चलता है कि 27.02.2007 पर, पुलिस ने उसके सामने आवेदन Ex.PY भेजा ताकि उसकी राय ली जा सके कि क्या चोटें नहीं हैं। 4, 5, 6 और 7 उसके सामने पेश किए गए 'चाकू' के कारण हो सकते हैं, जो आरोपी से बरामद किए गए थे।वे चाकू सीलबंद पार्सल में थे।उसने पार्सल खोले और फिर अपनी राय Ex.PY/1 दी कि चोटों की संभावना नहीं है। उन हथियारों के साथ 4,5,6 और 7 से इंकार नहीं किया जा सकता था।इसलिए, पीडब्लू-14 ने एक स्पष्ट राय दी है कि मृतक-नवीन के व्यक्ति पर चोटें आरोपी-अपीलार्थियों से बरामद चाकू से संभव थीं।

(27) राज दलेर उर्फ काला बनाम पंजाब राज्य 10 के मामले में इस अदालत की एक खण्ड पीठ कहा है कि अपराध के हथियार पर खून की अनुपस्थिति में का अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है।राजपाल उपनाम राजू और अन्य बनाम हरियाणा राज्य 11 के मामले में इस न्यायालय की एक अन्य खण्ड पीठ निम्नानुसार निर्धारित किया है:-

"दूसरा तर्क यह है कि चाकू (Ex.P-5) पर खून के कोई दाग नहीं पाए गए थे।चाकू की बरामदगी लखमी चंद (पीडब्लू-10) के बयान से साबित होती है जिसने राजपाल @राजू (अपीलार्थी संख्या 1) के प्रकटीकरण बयान (Ex.P-26) को साबित कर दिया है।उसके बयान में, यह कहा गया है कि वह 26.02.2000 पर पुलिस द्वारा संबद्ध था जिस तारीख को राजपाल @राजू (अपीलार्थी संख्या 1) को गिरफ्तार किया गया था।प्रकटीकरण बयान (Ex.P-26) के संदर्भ में, राजपाल @राजू (अपीलार्थी संख्या 1) द्वारा यह कहा गया है कि उसने अपने आवासीय घर के कमरे में अपराध करने में इस्तेमाल किए गए चाकू (Ex.P-5) को छिपा दिया था।प्रकटीकरण कथन (Ex.P-26) के अनुसरण में, चाकू (Ex.P-5) बरामद किया गया था।चाकू का रेखाचित्र (Ex.P-27) तैयार किया गया था।राजपाल @राजू (अपीलकर्ता संख्या 1) ने चाकू बरामद कर लिया, जिसे पुलिस ने रिकवरी मेमो (Ex.P-28) के माध्यम से अपने कब्जे में ले लिया।एफ. एस. एल. रिपोर्ट (Ex.P-33) के संदर्भ में, वास्तव में चाकू (Ex.P-5) पर कोई खून नहीं मिला था जिसका उपयोग राजपाल @राजू (अपीलार्थी संख्या 1) द्वारा अपराध में किया गया था।विद्वत ट्रायल कोर्ट ने पाया कि घटना रात लगभग 9 बजे आई. डी. 1 की रात को हुई थी, जबकि चाकू आरोपी राजपाल @राजू द्वारा आई. डी. 2 पर बरामद किया गया था, इसलिए, आरोपी को हटाने के लिए पांच दिन का समय था।

10 2003 (3) आर. सी. आर (सी. आर. एल.) 294 11 2013 (6) आर. सी. आर (सी. आर. एल.) 545

राज कुमार @मोगली और एन्नदर बनाम हरियाणा राज्य

चाकू से खून के धब्बे और शायद, उसने अपराध और चाकू के बीच के संबंध को हटाने के प्रयास में चाकू को पूरी तरह से साफ किया।विद्वत विचारण न्यायालय का उक्त तर्क काफी ठोस है।यहां तक कि केवल इसलिए कि चाकू पर खून के धब्बे नहीं हैं, अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने का आधार नहीं है, विशेष रूप से जब एफएसएल रिपोर्ट का उपयोग मुख्य रूप से किसी तथ्य की पुष्टि के लिए किया जाता है और ये किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज नहीं करते हैं।''

(28) इस प्रकार, अपीलार्थियों से बरामद हथियारों पर रक्त का पता न चलना इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई आधार नहीं है कि वे अपराध के हथियार नहीं थे।

(29) पीडब्लू-14, डॉ. सुषमा जैन, चिकित्सा अधिकारी, सामान्य अस्पताल, रोहतक के बयान/हलफनामे Ex.PR और उनके द्वारा तैयार की गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट Ex.PQ से पता चलता है कि मृतक-नवीन को निम्नलिखित चोटें आई हैंः-

1. सिफिस्टर्नम के ठीक ऊपर छाती की दीवार पर 2.5 x 1 सेंटीमीटर आकार का एक कटा हुआ घाव सही से मध्य रेखा तक मौजूद था।अन्वेषण के बारे मेंः- टी. आर. सी. ऊपर की ओर और दाईं ओर जा रहा था जो नरम ऊतकों, इंटरकोस्टल मांसपेशियों, उरोस्थि, पेरिकार्डियम और हृदय के दाहिने निलय को छेद रहा था जो हृदय की मांसपेशियों की पूरी मोटाई को छेद रहा था।दाहिने निलय में 1.4 x 0.2 सेमी आकार का घाव होता है जो दाहिने निलय की हृदय की मांसपेशियों की पूरी मोटाई को छेदता है।पूरी छाती खून से लथपथ थी।

2. 1 अग्रवर्ती सुपीरियर इलियाक स्पाइन (आर. टी.) से 13 से. मी. की मध्य अक्षतंतु रेखा में पार्श्व की ओर छाती के दाहिने तरफ x 0.5 से. मी. चीरा हुआ घाव मौजूद था।

अन्वेषण के बारे मेंः-इंटरकोस्टल मांसपेशियों, नरम ऊतकों को छेदते हुए घाव और आरटी तक पहुँचते हुए।बहुवचन गुहा, इंटरकोस्टल मांसपेशियों और नरम ऊतकों को एक्किमोज़ किया गया था।

3. 23 आरटी पर पीठ पर x 2 सेमी आकार का संदूषण मौजूद था।छाती का हिस्सा आर. टी. के कोण से 8 से. मी. ऊपर से शुरू होता है।स्कैपुला वार्ड से नीचे जा रहा है, मध्य और तिरछे रूप से और 1 सेमी पार्श्व से मध्य रेखा पर समाप्त हो रहा है।पार्श्व 26 से. मी. प्रसवकालीन दरार के निकट।

4. आरटी के पोस्टेरियोमेडियल पहलू पर 3 सेमी x 1.5 सेमी आकार का एक कटा हुआ घाव।जांघ 10 से. मी. निकटवर्ती से आर. टी.घुटने का जोड़।

उप त्वचीय ऊतक विलेख।

5. 6 आर. टी. के पश्च पार्श्व पहलू पर x 3 सेमी आकार का कटा हुआ घाव मौजूद था।जांघ 6 से. मी. निकटवर्ती से आर. टी.घुटने के जोड़ के उप-त्वचीय ऊतक गहरे।

6. आर. टी. के पार्श्व भाग पर एक कटा हुआ घाव 4 x 1.5 से. मी. मौजूद था।घुटने 3 से. मी. पटेला की पार्श्व से पार्श्व सीमा तिरछी रूप से रखी गई पगडंडी उप त्वचीय ऊतक और जांघ की मांसपेशियों को छेदते हुए ऊपर की ओर जा रही थी।मांसपेशियों में खुजली हो गई थी।

7. आर. टी. के पूर्ववर्ती पहलू पर 1 x 0.5 सेमी आकार का एक कटा हुआ घाव मौजूद था।पटेला के मध्य सीमा पर घुटने।ट्रैक उप-त्वचीय ऊतक और जांघ की मांसपेशियों को छेदते हुए ऊपर जा रहा था।मांसपेशियों में खुजली हो गई थी।

(30) उन्होंने यह भी एक निश्चित राय दी है कि मृत्यु का कारण सदमा और रक्तस्राव था, जो ऊपर वर्णित चोटों के कारण था, जो प्रकृति में पूर्व-शव परीक्षण थे और प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे।मृतक-नवीन को छह घाव लगे हैं।उनमें से दो घाव छाती पर थे, जो शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।

(31) यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्त के इरादे को उनके द्वारा उपयोग किए गए अपराध के हथियार, शरीर के उस हिस्से से एकत्र किया जा सकता है जिसका उद्देश्य चोट पहुँचाना है, प्रहार करने के लिए लगाया गया बल और कई अन्य परिस्थितियों से।तत्काल मामले में, अभियुक्त-अपीलार्थी पर्याप्त आकार के चाकू से लैस थे।मृतक की छाती के दाहिने हिस्से में दो चोटें आई हैं।मृतक की तुरंत मौत हो गई क्योंकि उसे अस्पताल में मृत लाया गया था।पोस्टमॉर्टम कराने वाली पीडब्लू-14 डॉ. सुषमा जैन ने मृतक को लगी चोटों को सामान्य प्रकृति में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त बताया।इस प्रकार, अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा किया गया अपराध स्पष्ट रूप से भा.दं.सं. सी. की खंड 307 को आकर्षित करता है।
(32) इस प्रकार, हमारी उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हम अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और उन्हें दी गई सजा में कोई कानूनी दुर्बलता नहीं पाते हैं जैसा कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया है।

(33) नतीजतन, वर्तमान अपील का कोई गुण नहीं है और इसे एतद्द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

प्रांशु जैन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

गुरुग्राम, हरियाणा ।